भारत सरकार / Govt. Of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / Ministry of Finance, Department of Revenue

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर - जयपुर

Office of the Principal Commissioner of Central Goods and Services Tax- Jaipur

मुख्यालय - नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल,सी-स्कीम, जयपुर-302005

Hqrs: New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005

(सूचना का अधिकार शाखा)

कार्यालय आदेश सं. – 01/2026 (आर.टी.आई.) दिनांक :- .07.2026

Office Order No.-01/2026 (RTI) Dated : .07.2026

प्राय: यह देखा गया है कि मुख्यालय स्थित कुछ शाखा प्रभारी (Branch Incharge) आर टी आई आवेदनों के सम्बन्ध में जवाब हेतु बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी उनसे सम्बंधित सूचना /प्रत्युत्तर, सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ में निर्धारित समयावधि में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय, जयपुर को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं. साथ ही यह भी देखा गया है कि अगर आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना में कोई दस्तावेज यथा पत्र, नोट शीट आदि की प्रतिलिपि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवाते समय उन दस्तावेजों को सम्बंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर नहीं भिजवाएं. जा रहा है, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन दस्तावेजों की सत्यता को उनके स्तर पर सत्यापित कर आवेदक को उपलब्ध कारवाना संभव नहीं हो पाता है. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कई बार शाखा प्रभारी सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ८ के तहत सूचना को देने से इनकार (denial) करते समय उसका समुचित कारण (Reasoned Justification) नहीं बताते हैं कि किन कारणों से उक्त सूचना धारा ८ के तहत उपलब्ध करवाने योग्य नहीं है.

अतः मुख्यालय स्थित सभी शाखा प्रभारियों को यह निर्देश दिए जाते है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना के अधिकार आवेदनों पर विशेष ध्यान रखते हुए चाही गयी सूचना, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ में निर्धारित समय सीमा से कम से कम ५ दिवस पहले उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ८ के तहत सूचना को देने से इनकार (denial) करते समय उसका समुचित कारण (Reasoned Justification) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराएं. इसके अतिरिक्त जहाँ आवेदकों को कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाना हो उन मामलों में उक्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को मुख्यालय की शाखा द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भिजवाएं.

साथ ही सभी शाखा प्रभारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अधिकारी जिसकी शाखा से सम्बंधित जानकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है उस शाखा के प्रभारी अधिकारी स्वयं भी सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ५ के तहत लोक सूचना अधिकारी हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ के प्रावधानों के तहत सही सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी हैं.

Digitally signed by
Mahipal Singh
Date: 30-07-2026
14:41:56

(महिपाल सिंह)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि : सभी शाखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है|